

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची**

प्रेस विज्ञप्ति

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (बैकलॉग) नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के कुल-26 पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या-02/2023) हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में दिनांक-01.12.2023 को आयोजित है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की पूर्ण विवरणी एवं आवश्यक अनुदेश आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।**

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (बैकलॉग) नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक अनुदेश।

1. अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
2. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाह्न-10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक 25/11/23 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाइन नं०- +919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न-11:00 बजे से अपराह्न-5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
 - (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - (ii) एम०बी०बी०एस० डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित),
 - (iii) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा-एम०डी०, एम०एस०, डी०एन०बी० अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा-एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सहित),
 - (iv) चिकित्सकीय निबंधन प्रमाण पत्र,
 - (v) सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर प्राप्त कार्यानुभव प्रमाण पत्र,
 - (vi) जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन के अनुसार),
 - (vii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र,
 - (viii) निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो),
5. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।
6. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
7. यह प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह०/-

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।